अमरसिंह बनाम राज० धारा 212

तारीख हुक्म	सु. न. 33/23 — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/01/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित ~~[illegible]~~ पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18/2/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18/2/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पूर्वानुसार [illegible] 10/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10/3/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 16/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16/4/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित अभि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23/04/2025	पत्रावली पेश हुई। अभि. प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 33/2023

1. अमरसिंह पुत्र चिरमोली जाति गूर्जर निवासी तुहिया पट्टी उच्चैन जिला भरतपुर।
.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0
2. हल्का पटवारी तुहिया पट्टी उच्चैन तहसील उच्चैन।
..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री गजेन्द्र पंचौली एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—23.04.2025**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 308/0.19, 309/0.37, 277/0.01, 278/0.15, 118/0.15, 119/0.13, 284/0.26, 139/0.45, 148/0.15, 206/0.63, 321/0.33 बाके ग्राम तुहियापट्टी तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में ओमप्रकाश पुत्र हरीसिंह एवं सतीश पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी नगला गोकुला मुताबिक हिस्सा दर्ज किये हुये है जोकि गलती से खिलाफ मौका एवं कानून दर्ज हो रहे है। चुकिं उक्त विवादित आराजीयात को प्रार्थी ने ओमप्रकाश एवं सतीश पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी नगला गोकुला से उनके हिस्से की सम्पूर्ण आराजी को जरिये रजिस्र्ट वयनामा दिनांक 29.09.2018 से खरीद कर लिया था जिसका नामान्तरण संख्या 1968 तारीख 20.12.2018 को तस्दीक हो चुका था एवं इस नामान्तरण के आधार पर प्रार्थी का नाम जमाबंदी सम्बत् 2069—72 में अमल दरामद हो चुका था परन्तु आगे की जमाबंदी सम्बत् 2074 व आधार वर्ष जमाबंदी सम्बत् 2075—2078 में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती से हटा दिया गया और विकेता ओमप्रकाश व सतीश पुत्र हरीसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। प्रार्थी द्वारा उक्त गलत अंकन की जानकारी दिनांक 07.07.2023 को जमाबंदी की नकल लेने पर हुई जिसको सही कराने का निवेदन प्रार्थी के द्वारा राजस्व कर्मचारियों से

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

किया गया तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहा गया जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम तुहियापट्टी में आराजी खसरा नम्बर 308,309 में हाल जमाबंदी संवत् में ओमप्रकाश पुत्र हरीसिंह हि. 2/27 सतीश पुत्र हरीसिंह 1/54 जाति जाट सा. न.गोकुला के नाम दर्ज रिकार्ड है इसी प्रकार से आराजी खसरा नम्बर 277,278,118,119,284,139,148,206,321 में वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में ओमप्रकाश पुत्र हरीसिंह एवं सतीश पुत्र हरीसिंह हिस्सा मुताबिक दर्ज रिकार्ड है उक्त खसरा नम्बर आधार जमाबंदी संवत् में ओमप्रकाश पुत्र हरीसिंह एवं सतीश पुत्र हरीसिंह हि.मु. जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2069–72 वाके ग्राम तुहियापट्टी के उक्त खसरा नम्बरान के साविक नम्बरान पर नामान्तरकरण संख्या 1968 स्वीकृति दिनांक 20.12.2018 अनुसार ओमप्रकाश एवं सतीश द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का बेचान अपने पूर्ण हिस्सा का किया गया चुंकि दौराने बंदोबस्त उक्त खसरा नम्बरान में सहवन से नामा. सं. 1968 का नोट लगाना जमाबंदी सवंत् 2074–74 में रह गया है। अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं जमाबंदी सम्बत् 2075–2078 में ओमप्रकाश एवं सतीश पुत्र हरीसिंह के स्थान पर प्रार्थी के नाम का अंकन किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ पेश राजस्व रिकार्ड एवं जबाव तहसीलदार का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी में खातेदार ओमप्रकाश पुत्र हरीसिंह एवं सतीश पुत्र हरीसिह को पक्षकार मुकादमा नहीं बनाया गया जो कि उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। चुंकि उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में हाल खातेदारों को सुना जाना आवश्यक है। मेरे विन्रम मत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। परन्तु प्रार्थी आवश्यक पक्षकारों को, पक्षकार मुकदमा बनाकर पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन, भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)